कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री मनोज कुमार पुत्र श्री अविनाशी लाल, 121, सुलटीन गंज, मुजफ्फरनगर**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**037 / 09, 08.04.2009**
प्रार्थी की ओर से	**श्री वी0 के0 अनेजा, विद्वान अधिवक्ता एवं श्री मनोज कुमार, फर्म स्वामी ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री मनोज कुमार पुत्र श्री अविनाशी लाल, 121, सुलटीन गंज, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 08.04.2009 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न वस्तुओं पर कर की दर जाननी चाही गयी है :-

- सींक नारियल नामक वस्तु क्या है यह किस काम में आती है तथा इस पर कर की दर क्या है ?
- अनब्रान्डेड ब्रूम स्टिक्स तथा सींक नारियल व सींक झाड़ू में क्या अन्तर है तथा इन पर करदेयता है अथवा नहीं यदि है तो इन पर कर की दर क्या है ?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री वी0 के0 अनेजा, विद्वान अधिवक्ता एवं श्री मनोज कुमार, फर्म स्वामी उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित तर्क दाखिल किये गये । उनके द्वारा कहा गया कि सींक नारियल, सींक झाड़ू से भिन्न है और खाने व पूजा के काम में आता है । सींक झाड़ू उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 1008 की अनुसूची-I के क्रमांक-45 पर करमुक्त की श्रेणी में आता है । इस सन्दर्भ में तदनुसार निर्णय करने का अनुरोध किया गया ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, सहारनपुर जोन सहारनपुर के पत्र संख्या-376, दिनांक 28.05.2009 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि अनब्रान्डेड ब्रूम स्टिक तथा नारियल की सींक एक ही वस्तु है । यदि नारियल की सींक को लूज रूप में बेचा जाये तथा अनब्रान्डेड हो तो करमुक्त होगी, किन्तु झाड़ू बना देने पर वह अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करयोग्य होगी ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-45 की प्रविष्टि निम्नवत है :-

Muddhas made of sarkanda, phool bahari jhadoo and unbranded broomsticks ; Juna used for cleaning

नारियल की सींक वस्तुत: नारियल के तने से बनने वाली पतली तीलियाँ (sticks) हैं जो झाड़ू बनाने के काम में आती हैं । यदि नारियल की पतली तीलियों को एक साथ बाँधकर बेचा गया है तथा उस पर कोई ब्राण्ड नेम नहीं है तो वह unbranded broomsticks की श्रेणी में आयेगा और उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-45 के अन्तर्गत करमुक्त होगा । प्रस्तुत अन्य प्रश्नों के सन्दर्भ में कहा गया है कि अन्य वस्तुएं क्या हैं, किस काम में आती हैं तथा वस्तुओं में अन्तर क्या है, इससे सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर

....2

धारा-59 में नहीं दिया जा सकता है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, सहारनपुर जोन सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि नारियल की सींक झाड़ू के काम में ही आती है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-45 में unbranded broomsticks शब्द अंकित है। ' broomsticks ' शब्द broomstick का plural है जो ' aggregate of broomsticks ' को स्पष्ट करता है। broom कुछ और नहीं अपितु aggregate of broomsticks ही है। अत: broom वस्तुत: ' broomsticks ' की उक्त शब्दावली में समाहित है, तदनुसार करमुक्त है। प्रार्थना-पत्र में उठाये गये अन्य बिन्दु-वस्तुओं में अन्तर या सींक नारियल क्या वस्तु है, किस काम में आता है, के सन्दर्भ में धारा-59 के अन्तर्गत आच्छादित न होने के कारण कोई उत्तर देय नहीं है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाये।

दिनांक 11 अक्टूबर, 2013

ह0 / 11.10.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।